कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT,
GHANSALI, HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR
UTTARAKHAND
उत्तराखण्ड शासन
P.O. Pilkhi, Pin Code-249181
Website- http://pwd.uk.gov.in
Phone and Fax No. 01379-258327
E-Mail :-eepwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :–2187/10 my

दिनांक–09/12/2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नई टिहरी, टिहरी गढवाल।

विषय :– जनपद टिहरी गढवाल में चमियाला–इन्द्रवाणगॉव–कांगड़ा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि का गैर वानीकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षक इन्द्रनगर फोरेस्ट कॉलोनी, उत्राखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–565/FP/UK/Road/10467/2015 दिनांक 17.8.2015 एवं भारत सरकार प्रयावरण वन एवं जलवायु क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सख्या–8बी/यू0सी0पी0/06/58/2015/एफ0सी0/983 दिनांक 14.08.2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करेगे जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा कुछ शर्तो पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है सभी शर्तो की बिन्दुवार आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु निम्नवत है–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रस्तावित 9.394 है0 सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 14,77,676.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू 30,85,929.00 कुल धनराशि रू0 45,63,605.00 मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttranchal SB A/c 037100101025229 New Delhi Lodi Complex/Corporation Branch IFSC Code CORP0000371MICR Code 10017007, एवं Branch Code 000371 RTGS के द्वारा ई0–चेक के माध्यम से 17.10.2015 को जमा की जा चुकी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र संलग्न) है। संलग्नक–1, पुनः क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु धनराशि बढ़ी हुयी शेष धनराशि रूपये 4,89,108.00 (19,66,784.00–14,77,676.00=4,89,108.00) मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttranchal SB A/c 037100101025229 New Delhi Lodi Complex/Corporation Branch IFSC Code CORP0000371MICR Code 10017007, एवं Branch Code 000371 RTGS के द्वारा ई0–चेक के माध्यम से 08.12.2015 को जमा की जा चुकी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र संलग्न) है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिनित ग्राम चमियाला पट्टी केमर में सिविल सोयम भूमि कुला 39 खसरा नम्बर कुल रखवा 9.394 है0 भूमि वन विभाग को हस्तानान्तरण हेतु जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्र संख्या–144/XXVI-28(2014–15) दिनांक नई टिहरी अक्टूबर,15 2015 द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। भूमि अंतरित कर ली गई है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र संलग्न) है। संलग्नक–2।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में NPV की धनराशि रू0 30,85,929.00 बिन्दु संख्या–1 के अनुसार वन विभाग के पक्ष में जमा किये जा चुके है।
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में डिमाण्ड नोट का नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया गया है। जिसके पश्चात ही उक्त धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की गई है।

क्रमशः–2

Scanned by CamScanner

शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के द्वारा NPV के दरों में बढोतरी की जाती है, तो बढी हुयी धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।।

6. शर्त संख्या–6 का अनुपालन करते हुये उक्त धनराशि बिन्दु संख्या–1 के अनुसार RTGS के माध्यम से जमा कर दी गई है। जिसका ई0–चेक नम्बर CN42387327 दिनांक 17.10.2015 है। संलग्नं।

7'. शर्त संख्या–7 के सापेक्ष प्रमाणित किया जाता है कि जहॉ सम्भव होगा मोटर मार्ग के दोनो किनारों तथा Central Verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख–रेख में Strip Plantation किया जायेगा।

8. शर्त संख्या–8 के अनुसार मलवा निस्तरण योजना वनभूमि पर प्रभावित नहीं है।

भारत सरकार की उक्त सन्दर्भित पत्र के फेज संख्या–2 में दी गई शर्तों के अनुपालन में प्रमाणित किया जाताा है कि –

1. वनभूमि की विधिक प्रस्तिथि नहीं बदली जायेगी।
2. NPV की दरों में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दरों पर NPV जमा कर दी जोयगी।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.394 सिविल एवं सोयम भूमि वनविभाग के पक्ष में नामांत्रित/हस्तानान्तरित किया जा चुका है एवं वनविभाग को 6 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन घोषित करने हेतु रू0 14,77,676.00 मात्र रूपये वनविभाग के पक्ष में जमा किये जा चुके है।
4.. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों एवं स्टाफ क लिये लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5 निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों को रसोई गैस/केरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुॅचे।
6. प्रयोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जायेगी।
7. वनविभाग का प्रयोग प्रस्ताव. में दर्शाये गये उद्‌देश्य के अलावा अन्य किसी उद्‌देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
8. मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 283 से अधिक नहीं होगी।
9. प्रयोक्ता विभाग द्वारा वनविभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC पिल्लर लगा कर सिमांकन किया जायेगा, जिस पर Forward तथा Back bearing भी अंकित की जायेगी।
10. प्रयोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अनयत्र मलवा कहीं नही फेंका जायेगा।
11. सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायाल आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर वर्तमान में लागू नहीं होते है, भविष्य में आवश्यकतानुसार अनुमति ले ली जायेगी।

अतः उक्त पत्रों में दी गई सभी शर्तों का अनुपाल कर दिया गया है, अनुपालन आख्या के उपरान्त इस अनुरोध के साथ की उक्त मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृत प्रदान करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करने का कष्ट करें।

Ae प्रभारी अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0, धनराली,
मुख्यालय–घुगेटीधार

क्रमशः–3

D-Ashish Negi folder name 2015 EE and AE Latter Paid, Only Latter EE

Scanned by CamScanner

ांक 2187 /10 mg तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इंदिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

2. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

3. अधीक्षण अभियन्ता 8वॉं वृत्त, लो0नि0वि0 नई टिरही को सूचनार्थ प्रेषित।

4. सहायक अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. श्री नत्थी सिंह राणा, अमीन, अ0ख0, लो0नि0वि0 घनसाली को सूचनार्थ प्रेषित।

Recd 09/XII/15

9/12/15
प्रभारी अधिशासी अभियन्ता,
अ0ख0,लो0नि0वि0, घनसाली,
मुख्यालय–घुमेटीधार

D-Ashish Negi folder name 2015 EE and AE Latter Paid, Only Latter EE

Scanned by CamScanner

UTR Number	SBIN215342583408	Tran Branch	02347
Value Date:	08/12/2015		
Amount	489108	INR	
Commission	0		

Beneficiary Details

Beneficiary A/C: 037100101025229

Benef. Name And Address:

compensatory afforestation fund

123456789

null

Beneficiary bank/branch

IFSC Code: CORP0000371

Details of Payment:

Error Code

Remitting Customer Details

Account Number: 00003199304000009

Remitter's Name And Address:

DIRECTOR TREASURIES AND FINNACE SER

23 LAXMI ROAD DALANWALA

DEHRADUN UTTARAKHAND

248001

Sender's To Receiver Information

/INB

07 DEC 15 CC6101156312150003 DELC

Fund Status

Close

Scanned by CamScanner

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advise

Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CC6101156310150002 Date :09-OCT-15

DDO Code	:	1563	Division Name	:	Temporary Division P.W.D
Grant No.	:	PAC	Scheme	:	5054048000500 PV
Code	:	DELC090948	Name	:	Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal
Payment.Type	:	Final Bill	Project Name	:	LAND COMPANTATION AND N.P.V. PAYMENT (STATE SEC

ALLOTED AMT : 39719870 EXPENDITURE AMT : 16021168 REMAINING AMT : 23698702

To,

CTO/Sr.TO/TO/STO
Ghansali

Please pay to Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal
Corporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No.037100101025229 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	4563605
	Total Payment	4563605

Amount in words : (Rs. Forty-Five Lac Sixty-Three Thousand Six Hundred Five Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal

DAO/Sr.DAO Temporary Division P.W.D Ghansali

Signature with Seal
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०विभाग
Executive Engineer (Temporary) P.W.D Ghansali
घनसाली (टिहरी)

लेखाधिकारी
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
घनसाली टिहरी गढ़वाल

For Treasury Use

Voucher No.
Voucher Date. / /

ID :CC6101156310150002 Date :09-OCT-15

Passed Amount Rs. : 4563605.00

Payment Id :

Amount in words : (Rs Forty-Five Lac Sixty-Three Thousand Six Hundred Five Only.)

Bank Amount Rs. : 4563605.00 Amount By TC Rs. : 0.00

Accountant Signature ATO Signature CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

नकल जमाबन्दी खतौनी ग्राम - चमियाला पट्टी केमर तहसील धनोल्टी टिहरी गढ़वाल

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

1	2	3	4	5	6
89/387	[illegible] 30 सा०		47	0751	
			48	0219	
			४	४	
			४	४	
			1404	013	
			1408	0106	
			४	४	
			४	४	
			2905	0058	
			४	४	
			४	४	
			४	४	
			3193	020	
			10206		
	योग		737	83.128	

1423 का2 वर्ष

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पिनसन रोड
वन अनुसंधान संस्थान परिसर पो.ओ. न्यू फोरेस्ट देहरादून के पत्रांक संख्या
08 बी यू.सी.पी 1061/59/2015 एफ.सी./1992 दिनांक 14 अगस्त 2015 के
द्वारा चमियाला इन्द्रवाणगांव कागड मोटर मार्ग हेतु सैद्धान्तिक [illegible]
2173/प vv III (1)/2012-18 (120)/210 राजस्व अनुभाग दिनांक 17 दिसम्बर
2012 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के पत्रांक संख्या
144/xxvi-28 (2014-15) दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के ग्राम चमियाला के

खसरा नं० 1418/0.137, 1424/0.154, 1423/0.204, 1422/0.165, 1421/0.193, 1420/0.159, 1419/0.289,
1417/0.078, 1472/0.143, 1471/0.130, 1431/0.131, 1432/0.165, 1433/0.189, 1427/0.371, 1428/0.446,
1426/0.293, 2912/0.037, 2913/0.260, 2914/0.078, 2915/0.045, 2916/0.023, 2917/0.213, 2918/0.375,
2919/0.046, 2920/0.325, 2921/0.250, 2922/0.464, 2923/0.041, 2924/0.185, 3315/0.196,
3316/0.051, 3317/0.191, 3318/0.125, 3319/0.208, 4479/0.443, 4480/0.485, 4481/0.258,
5219/0.050, 5220/0.056 कुल 39 खसरा नम्बर (कुल रकबा 9.394 हे०
भूमि व्यापक जनहित में टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को वृक्षारोपण
हेतु हस्तान्तरित होकर नई टिहरी के नाम दर्ज किया

Note - [illegible]

राजस्व उपनिरीक्षक
(क्षेत्र-चमियाला)
तहसील धनोल्टी
टिहरी गढ़वाल

::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पिर्थसन रोड़ वन अनुसंधान संस्थान परिसर, पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून के पत्रांक संख्या–08बी0 यू0सी0पी0/06/58/2015/एफ0सी0/982 दिनाँक 14 अगस्त 2015 के द्वारा जनपद के अन्तर्गत चमियाला इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.697है0 भूमि के गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रश्नगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कतिपय प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त स्वीकृति की शर्त संख्या–01 के अनुसार ~~थत्यूड़–कम्पटी~~ चमियाला कांगड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.697है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष 9.394है0 ग्राम चमियाला की सिविल सोयम भूमि को हस्तान्तरित किया जाना है।

उप जिलाधिकारी घनसाली द्वारा अपने प्रस्ताव दिनाँक 14.09.2015 के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार की भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है–:

तहसील	ग्राम सभा	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा (है0में)	भूमि की किस्म
01	02	04	05	06	07
			1418	0.137	
			1424	0.154	
			1423	0.204	
			1422	0.165	
			1421	0.193	
			1420	0.159	
			1419	0.289	
			1417	0.078	
			1472	0.143	
			1471	0.130	
			1431	0.131	
			1432	0.165	
			1433	0.189	
			1427	0.371	
			1428	0.446	
			1426	0.893	
			2912	0.037	
			2913	0.26	
			2914	0.078	
			2915	0.045	श्रेणी ९(3)ड
घनसाली	चमियाला	512	2916	0.123	
			2917	0.213	
			2918	0.375	
			2919	0.046	
			2920	0.375	
			2921	0.25	
			2922	0.464	
			2923	0.041	
			2924	0.185	
			3315	1.196	
			3316	0.051	
			3317	0.191	
			3318	0.125	
			3319	0.208	
			4479	0.443	
			4480	0.485	
			4481	0.25	
			5219	0.05	
			5220	0.056	
		योग		9.394	

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित चमियाला इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग का प्रस्ताव शासनादेश सँख्या 2882/XVIII (II) 11–18 (120) /2010 दिनाँक 11.11.2011 पर शासनादेश संख्या 2365/XVIII(II)/13–18(120)/2010 टी0सी0 दिनाँक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित 12.077हे0 वन भूमि के सापेक्ष दुगनी 9.394हे0 सिविल राजस्व भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन किया जाना है।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग दिनाँक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी घनसाली द्वारा प्रस्तावित की गयी ग्राम चमियाला की 9.394हे0 राजस्व सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार घनसाली तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(युगल किशोर पन्त)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–144 /XXVI- 28 (2014–15) दिनांक नई टिहरी अक्टूबर,15 2015

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–:

1– सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी।
6– उपजिलाधिकारी घनसाली।
7– अधिशासी अभियन्ता,अ0ख0लो0नि0वि0 घनसाली।
8– तहसीलदार घनसाली।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक –1851 / आदि

17/10/18

17/10/15

Scanned by CamScanner

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक: FP/UK/ROAD/10467/2015 दिनॉक देहरादून: 17 अगस्त, 2015

सेवा में, पत्रावली सं0........

अग्रिम संदर्भ..........

वन संरक्षक, क्रम सं0..........

यमुना वृत्त, पिछला संदर्भ..........

देहरादून। रीडिंग की..........

विषय:— जनपद— टिहरी गढ़वाल में चमियाला—इन्द्रवाणगॉव—कांगडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.697 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/58/2015/एफ.सी./982 दिनांक 14—08—2015 (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणं पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना है -

1. शर्त संख्या—1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.394 हे0 ग्राम चमियाला सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव देय धनराशि आंकलित कर जमा की जानी है।
2. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या—1 में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि, जिसका क्षेत्रफल 9.394 हे0 है, को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया जायेगा व इस भूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा तथा इसे छः माह के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। उक्त कार्यवाही सम्पन्न करवाकर जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई भूमि का उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को अनुपालन आख्या के साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. शर्त संख्या—2 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफ0सी0 दिनांक 05—02—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 6.57 लाख प्रति हे0 की दर से जमा की जानी है।
4. **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोड किया जाय। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FC Amendment Rules 2014 के बिन्दु—8, उपबिन्दु—क एवं ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 एवं मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण आदि की धनराशि का डिमाण्ड नोट प्रेषित करेगें, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेगें, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि का भुगतान की कार्यवाही करेगें।**
5. शर्त संख्या—3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी।

Scanned by CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पियर्सन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो०ओ० न्यू फॉरेस्ट, देहरादून–248006
दूरभाष: 0135–2750809,
ईमेल / Email – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं० 08बी / यू०सी०पी० / 06 / 58 / 2015 / एफ०सी० / 912 दिनांक 14 अगस्त, 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद–टिहरी में चमियाला–इन्द्रवाणगॉव–कांगडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.697 है० आरक्षित एव सिविल वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन,

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक सख्या–303 / X-4–15 / 1(132) / 2015 दिनांक–12.05.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र एवं On Line Proposal No. FP/UK/ROAD/10467/2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यान पूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद–टिहरी में चमियाला–इन्द्रवाणगॉव–कांगडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.697 है० आरक्षित एव सिविल वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.394 है० ग्राम चमियाला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एव [illegible] वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रू0 6.57 लाख प्रति है0 की दर से जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज [illegible] रोड नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां सभंव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने [illegible] विभाग देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

Scanned by CamScanner

ख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो में देय धनराशियों को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund, (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का IFSC Code-CORP0000371, MICR Code-110017007 एवं Branch Code-000371 है। कारपोरेशन बैंक की लोधी रोड शाखा में जमा करायी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैंक द्वारा जारी पुष्टि का पत्र मय UTR नं० भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इसकी सूचना तदर्थ कैम्पा को प्रेषित की जा सके।

7. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी, इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा मलवा निस्तारण यदि वन भूमि पर किया जाता है, तो मलवा निस्तारण स्थलों पर वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी की मांग के अनुसार वांछित धनराशि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष 20 ... 2015 उत्तराखण्ड लो.नि.वि. देहरादून

AD/ADB 20/08/15

1677 21/8/15

भवदीय,

(एस०टी०एस० लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 565/FP/UK/ROAD/10467/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता पत्र प्राप्ति 28 AUG 2015

3086 28/8/15

1. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
3. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड, यमुना कॉलोनी, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशियों का डिमाण्ड नोट सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

(एस०टी०एस० लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पत्रांक 1677/01(3)व०प०/2014 दि० 21/8/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लो० नि० वि० टिहरी।
2– अधीक्षण अभियन्ता, ... वृत्त लो० नि० वि० टिहरी।
3– अधिशासी अभियन्ता अ० खं० लो०नि०वि० घनसाली।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम ... के तहत विधियत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 9.394 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 19.7 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रिय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस--पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 283 से अधिक न हो।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख–रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

/

(एम0एस0 नेगी)
उप वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड अलीगंज नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम0एस0 नेगी)
उप वन संरक्षक

Scanned by CamScanner

अमल दरामद भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

जनपद टिहरी के अन्तर्गत चमियाला इन्द्रवाण गॉव कांगड़ा मोटर मार्ग से ग्राम–चमियाला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.697 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप जिलाधिकारी, टिहरी आदेश सं0– 144/XXXVI-28 (2014–15) दिनांक 15–10–2015 से जारी निर्देश के क्रम में ग्राम–चमियाला, पट्टी–केमर, तहसील–घनसाली, अमल दरामद 9.394 है0 चिन्हित सिविल भूमि जो खसरा–1432, 1433, 1427, 1428, 1426, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 4479, 4480, 4481, 5219, 5220 रक्वा 9.394 है0 में है। राजि अधिकारी बालगंगा द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

वन क्षेत्राधिकारी
बालगंगा राजि चमियाला

(वन क्षेत्राधिकारी
बाल गंगा रेंज
चमियाला)

Scanned by CamScanner

प्रारुप–2.38

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत चमियाला–इन्द्रवाणगांव–कांगड़ा मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई–10.00 कि0मी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

J.E.

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
घनसाली, टि0 ग0

अधिशासी ह0/–
अप्रयोक्ता एजेन्सी
घनसाली

Scanned by CamScanner

UTR Number SBIN215290444914

Tran Branch 02347

Value Date: 17/10/2015

Amount 4563605 INR

Commission 0

Beneficiary Details

Beneficiary A/C: 037100101025229

Benef. Name And Address:

compensatory afforestation fund

123456789

null

Remitting Customer Details

Account Number: 000031993040000009

Remitter's Name And Address:

DIRECTOR TREASURIES AND FINNACE SER

23 LAXMI ROAD DALANWALA

DEHRADUN UTTARAKHAND

248001

Beneficiary bank/branch

IFSC Code: CORP0000371

Details of Payment:

Sender's To Receiver Information

/INB

E61011417101527989 13 OCT 15 CC61

Error Code

Fund Status

Close

Scanned by CamScanner

प्रारुप

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत चमियाला—इन्द्रवाणगांव—कांगड़ा मोटर मार्ग को नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई—10.00 कि0मी0)

पथ वृक्षारोपण

प्रमाणित किया जाता है कि जहॉ सम्भव होगा मोटर मार्ग के दोनो किनारों तथा सेन्ट्रल वर्ज प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वनविभाग की देख—रेख में स्ट्रीप प्लानटेशन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
अ0.ख0, लो0नि0वि0
घनसाली

Scanned by CamScanner